

## मुसलमान कौन है: सामाजिक धार्मिक एवं विधिक अध्ययन

डॉ. सुहेल अजीम कुरैशी\*

सारांश

खुदा एक है। खुदा के एक मात्र रसूल (दूत) पैगम्बर मोहम्मद साहब है। मुसलमानों का एक मात्र धर्मग्रंथ अलकुरान है। अलकुरान के अनुसार कलमा, नमाज, रोजा, जकात, हज में आस्था रखने वाले मुस्लिम माता पिता की संतानें जन्मजात मुस्लिम तथा सम्परिवर्तन के अनुष्ठान की पूर्ति कर सम्परिवर्तित मुस्लिम कहलाते हैं। किन्तु कानूनी रूप से मात्र सद्भावनापूर्वक बिना दबाव, कपट, लालच रहित ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप से मुस्लिम धर्म में सम्परिवर्तन के अनुष्ठान के बिना आस्था व्यक्त कर मुसलमान हो सकते हैं। मुसलमानों पर मुस्लिम विधि उनकी वैयक्तिक विधि के रूप में लागू होती है। शरियत अधिनियम 1937 लागू होने के बाद उसमें बताये गये कुछ मुद्दों/ मामलों पर उनकी व्यक्तिगत विधि लागू होती है। कुछ हद तक परम्परा व रूढ़ि भी लागू हो सकती है, किन्तु वह कुरान व सुन्ना के अनुकूल होना चाहिए।

**बीजशब्द:** मुसलमान, धर्म, विधि, सम्परिवर्तन

### प्रस्तावना

कुरान में सिर्फ अल्लाह की आज्ञाएं हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य है। विश्व का प्रत्येक मुसलमान कुरान को मानने के लिए बाध्य है। इस्लाम धर्म के प्रमुख पाँच स्तम्भ हैं। जिन पर मुस्लिम सदैव कायम रहता है। जो कलमा, नमाज, रोजा, जकात एवं हज है। मुस्लिम विधि आधुनिक भारत में मुसलमानों पर ही लागू होती है। कलमा, नमाज, रोजा, जकात, हज एवं पैगम्बर मुहम्मद साहब में आस्था रखने वाला व्यक्ति मुसलमान है। आधुनिक मुस्लिम विधि में मुस्लिम शब्द को हमेशा से ही धर्म के संदर्भ में ही परिभाषित किया जाता है। यद्यपि उदारवादी विचारों के प्रवर्तन को न्याय में महत्व न देते हुए दो भागों में बांटा। एक जन्मजात मुस्लिम तथा दूसरा सम्परिवर्तन द्वारा मुस्लिम। जन्मजात मुस्लिम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति तब तक मुस्लिम नहीं हो सकता। जब तक कि वह इस्लाम धर्म को नहीं मानता, साथ में उसे इस्लाम धर्म के मुख्य पाँचों स्तम्भों का पालन करना भी अनिवार्य है। अल्लाह एक है तथा उनके एक मात्र रसूल पैगम्बर मुहम्मद साहब है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मुस्लिम माता-पिता की सन्तान को मुस्लिम माना जाता है। जबकि कोई भी व्यक्ति सम्परिवर्तन द्वारा मुस्लिम तब माना जाता है, जब वह इस्लाम के आधार स्वीकार करते हुए उसमें आस्था तथा पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कोई भी गैर मुस्लिम आस्था के द्वारा एवं मस्जिद में इमाम के द्वारा पूछने पर इस्लाम धर्म ग्रहण की स्वीकृति के साथ अनुष्ठान के अन्तर्गत कलमा का उच्चारण पूर्ण होने पर सम्परिवर्तन का अनुष्ठान भी पूर्ण हो जाता है। इस तरह से गैर मुस्लिम या अमुस्लिम व्यक्ति उक्त कार्यवाही पूर्ण कर सम्परिवर्तन द्वारा मुस्लिम हो जाता है एवं मुस्लिम कहलाने लगता है।

इस्लाम में मुस्लिम विधि को दो वर्गों में विभाजित किया गया एक शरीअत दूसरा फिक्ह (मुस्लिम विधि का विज्ञान)। शरीअत का अर्थ सभी प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों का संकलन है। इसमें अल्लाह की सभी आज्ञाओं का समावेश है जो कि अनुसरणीय है। फिक्ह मुस्लिम विधि का विज्ञान है जिसका अर्थ प्रज्ञा या बुद्धि है। मुस्लिम विधि शास्त्रियों का विधि सम्बन्धी मामलों के विनिश्चय को फिक्ह कहते हैं।

\* प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह लॉ कॉलेज, भिण्ड; सदस्य, विधि अध्ययन मण्डल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत के रूप में कुरान, सुन्नत एवं हदीस, इज्मा कियास प्रमुख है। जबकि द्वितीयक स्रोत के रूप में विधान, रूढ़ियाँ एवं न्यायिक सिद्धान्त प्रमुख रूप से शामिल है। मुस्लिम विधि में प्रमुखतया दो सम्प्रदाय होते हैं एक सुन्नी सम्प्रदाय तथा दूसरा शिया सम्प्रदाय। सुन्नी सम्प्रदाय के सुन्नियों के अनुसार खलीफा (इमाम) का चुनाव जमात (जनता) द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि इमाम या खलीफा का पद केवल पैतृक उत्तराधिकार पर आधारित न होकर योग्यताओं पर आधारित है। जबकि शियाओं के अनुसार योग्यताओं को अमान्य करते हुए खलीफा (इमाम) के पद हेतु केवल पैतृक उत्तराधिकार को ही मान्यता प्रदान की गई। यहीं से मुस्लिम दो वर्गों में विभाजित हो गये। यही कारण है कि सुन्नी एवं शिया संप्रदाय के मुस्लिम विधि के अंतर्गत अलग-अलग नियम कानून है।

## मुसलमान कौन है?

विश्व के प्रत्येक मुस्लिम को अलकुरान के अनुसार पांच सिद्धांतों या आधार स्तम्भों का मानना व आस्था रखना अनिवार्य है-

1. कलमा- लाईलाहा इल्लाह मोहम्मदुर रसूलाह अर्थात अल्लाह एक है, तथा पैगम्बर हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल (दूत) है।
2. नमाज- प्रत्येक मुस्लिम पर पांच वक्त की नमाज फर्ज है।
3. रोजा- रमजान के पवित्र महीने में रोजे (वृत) रखना अनिवार्य है।
4. जकात- प्रत्येक मुस्लिम का धार्मिक कर्तव्य है कि वह अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीबों और फकीरों को जकात (दान) करे।
5. हज- यह इस्लाम का अंतिम स्तम्भ है कि वह अपने आय-व्यय के अनुसार यदि सम्भव हो व हैसीयत रखता हो तो जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा कर हज करे।

आधुनिक भारत में प्रत्येक धार्मिक समुदायों पर उनकी वैयक्तिक विधि लागू होती है। इसी तरह मुसलमानों पर मुस्लिम वैयक्तिक विधि लागू होती है। कुछ प्रारम्भिक निर्णयों में प्रिवी कौंसिल ने व्यक्त किया कि स्थापित रूढ़ि मुस्लिम विधि पर अधिमानी हो गई है। मो. इसरायल बनाम शयोमुख (1913) बम्बई लॉ रिपोर्ट 76, अब्दुल बनाम सोना 1913 (45), इण्डियन अपील 10, रोशन अली बनाम अजगर अली (1929) 57 इण्डियन अपील 29, मुस्लिम विधि किन पर लागू होगी इस लिहाज से मुस्लिमों को दो भागों में बाँटा गया है।

1. जन्मजात मुस्लिम
2. सम्परिवर्तन द्वारा मुस्लिम

सम्परिवर्तित मुस्लिमों को दो उपवर्ग प्रदान किये गये हैं- एक वो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। दूसरे वो जो सम्परिवर्तन के अनुष्ठान के द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाते हैं।

## जन्मजात मुस्लिम

मुस्लिम माता-पिता से उत्पन्न (पैदा) हुई संताने जन्मजात मुस्लिम, की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को माने बिना मुस्लिम नहीं हो सकता। इस्लाम धर्म की मान्यता अनुसार यह मानना परम आवश्यक है कि अल्लाह एक है मोहम्मद पैगम्बर साहब अल्लाह के रसूल है व कुरान ही एक मात्र धार्मिक

ग्रंथ है। किसी भी मुस्लिम को इस्लाम धर्म व कुरान के अनुसार कलमा, नमाज, रोजा, हज, जकात धार्मिक स्तम्भों का पालन करना अनिवार्य है।

### **सम्परिवर्तन द्वारा मुस्लिम**

कोई भी व्यक्ति इस्लाम के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान के तहत कलमा का उच्चारण कर अल्लाह मोहम्मद व कुरान में विश्वास व्यक्त करते हुए कोई भी गैर मुस्लिम मस्जिद में इमाम के द्वारा पूछने पर इस्लाम धर्म ग्रहण की स्वीकृति के साथ अनुष्ठान के अंतर्गत कलमा उच्चारण पूर्ण होने पर सम्परिवर्तन का अनुष्ठान भी पूर्ण हो जाता है। आस्था के अनुसार मुसलमान/ मुस्लिम बन सकता है। इस्लाम धर्म में विश्वास व मान्यता है कि कोई भी अमुस्लिम इस्लाम में आस्था व्यक्त कर मुसलमान हो सकता है क्योंकि इस्लाम का मुख्य आधार विश्वास व आस्था है। शरिअत एक्ट 1937 पारित होने से पहले कोई भी सम्परिवर्तित मुसलमान पूर्व की वैयक्तिक विधि से शासित हो सकता था किन्तु शरिअत एक्ट पारित होने के बाद वह केवल मुस्लिम विधि से ही शासित होगा।

### **आस्था द्वारा मुसलमान**

समपरिवर्तन के अनुष्ठान की पूर्ति के बिना भी इस्लाम में केवल आस्था व्यक्त करने की सार्वजनिक घोषणा करके कोई भी अमुस्लिम मुसलमान हो सकता है। अब्दुल रज्जाक बनाम आगा मोहम्मद (1893) 21 इण्डियन अपील 56 में यह सिद्ध नहीं हो पाया कि, बर्मी महिला जो कि बौद्ध धर्म की अनुयायी ने विवाह से पूर्व मुस्लिम धर्म अपनाकर अर्थात् किसी भी रूप में स्वीकार कर लिया था निर्णीत किया गया कि, विवाह शून्य था अतः उत्तराधिकार के लाभ से वंचित माना गया।

रेशमा बीबी बनाम खुदा वख्श 1938 लाहौर 277 में अभिनिर्धारित किया गया कि रेशमा बीबी की घोषणा अनुसार इस्लाम धर्म से त्यजन को स्वीकार माना गया अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का त्याग प्रेम या घृणा किसी से भी कर सकता है। अर्थात् केवल तथ्य को देखा जावेगा ना कि हेतु को। मुस्लिम धर्म में आस्था की घोषणा मात्र को सकारात्मक रूप में ही देखा जावेगा। लार्ड मैकटन के अनुसार कोई भी न्यायालय आस्था विश्वास व मान्यता की सत्यता का पैमाना तय या जांच नहीं कर सकता।

आस्था परिवर्तन की घोषणा के साथ ही समपरिवर्तन का अनुष्ठान समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आस्था व्यक्त करने की घोषणा सद्भावना, ईमानदारी से होकर असम्यक प्रभाव/ दबाव रहित होनी चाहिए उसमें असद्भावना, कपट व लालच का कोई स्थान नहीं है।

### **समपरिवर्तित व्यक्तियों पर मुस्लिम विधि का प्रभाव**

शरिअत एक्ट 1937 पारित होने के बाद प्रत्येक प्रकार का मुस्लिम इस एक्ट के अनुसार ही शासित होगा किन्तु सैद्धांतिक रूप से पूर्व की कुछ प्रथा व रूढ़ियाँ लागू हो सकती है किन्तु उनका निर्धारण कुरान व सुन्ना के अनुकूल होना चाहिए।

## निष्कर्ष व सुझाव

उक्त शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमान वह व्यक्ति होते हैं जो अल्लाह एक है पैगम्बर मोहम्मद उनके रसूल हैं तथा एक मात्र धार्मिक ग्रंथ अलकुरान है। इनमें आस्था व विश्वास रखना प्रत्येक मुस्लिम का दायित्व होकर बाध्यकारी है। एक मुसलमान मुस्लिम धर्म के पांचो आधार स्तम्भ कलमा, नमाज, रोजा, जकात, हज, को मानते हुए पालन करना जरूरी है। मुस्लिम विधि में मुसलमान दो प्रकार से हो सकते हैं जन्मजात मुस्लिम तथा दूसरा समपरिवर्तन या धर्म परिवर्तन हेतु अनुष्ठान की पूर्ति कर हो सकते हैं। किन्तु विभिन्न न्यायिक निर्णयों या विधिक अनुसार केवल मात्र आस्था की सद्भावना पूर्वक सार्वजनिक घोषणा मात्र जरूरी है। भले ही वह अन्य धर्म संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करे या न करे आस्था की घोषणा दबाब, कपट, लालच रहित होकर सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी अन्य धर्म को सम्परिवर्तन द्वारा दूसरा धर्म ग्रहण करता है तो उसे कानूनी रूप से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उन पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा टीका टिप्पणी करने को अपराध घोषित होकर वर्जित होना चाहिए। क्योंकि धर्म का परिवर्तन या समपरिवर्तन करना उसका संवैधानिक अधिकार है। धर्म परिवर्तित करने वाले व्यक्तियों को दूसरे परिवर्तित धर्म के समस्त कानूनी अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से अधिकारों की कटौती नहीं होना चाहिए तथा किसी भी अन्य दूसरे व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति लेने के अधिकार से कानूनी रूप से वर्जित कर देना चाहिए।

## सन्दर्भ सूची:-

1. अल कुरान
2. हदीस
3. हदीसों का संग्रह, अबू दाउद
4. प्रिंसिपल्स ऑफ़ मोहम्मडन जुरिस्पूडेंस, अब्दुर रहीम
5. दुर्र उल मुखतर, अलाउद्दीन यक मुहम्मद
6. धार्मिक पत्र-पत्रिकायें